संख्या-16 /2026/।/ 1274924/2026/11-4099/11/2026

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर
उ0प्र0 शासन।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद के अंतर्गत राज्य कर विभाग के कार्यालय भवनों की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स0नि0-पुनर्विनियोग/आगणन प्रस्ताव/2025-26/1229/राज्य कर दिनांक 17.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य कर विभाग के कतिपय कार्यालय भवनों की मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य कराये जाने हेतु 03 राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के मूल्यांकित व लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आगणन प्रस्तावों, सहमति/घोषणा पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए, आगणन प्रस्तावों में से न्यूनतम आगणित कार्यदायी की आगणित धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-14/2026/।/1269012/2026/11-4099/11/2026 दिनांक 17.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखाशीर्षक 2059-01-051-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवनों तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य के मानक मद 29-अनुरक्षण मद में पुनर्विनियोग के माध्य से स्वीकृत रू0 1442.57 लाख (रुपये चौदह करोड़ बयालीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि को आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखा गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल **05 कार्यों (कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य)** को कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये न्यूनतम आगणित कार्यदायी संस्थाओं के आगणन प्रस्तावों के अनुसार, उक्त शासनादेश दिनांक 17.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखाशीर्षक 2059-01-051-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवनों तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य के मानक मद 29-अनुरक्षण

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मद में आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन रक्षित धनराशि के सापेक्ष **रू0 571.94 लाख (रुपये पॉच करोड़ इकहत्तर लाख चौरानबे हजार मात्र)** की धनराशि का व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखि शर्तो/प्रतिबंधो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0	जनपद	कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था /धनराशि
1	2	3	4
1	अयोध्या	राज्य कर भवन, अयोध्या में शौचालय, ड्राइवर रूम, पार्किंग स्थल के रिपेयर एवं रेनोवेशन का कार्य व दिव्यांगजनों के लिए एसरेलिंग का कार्य।	यू0पी0 सी0एल0डी0एफ0 **107.77**
2	मेरठ	राज्य कर कार्यालय भवन मंगल पाण्डे नगर मेरठ में बाउण्ड्रीवाल, यू0पी0सी0सी0 विंडो (बाहरी) तथा कार्यालय भवन के भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल पर दोनों ओर (ब्लॉक-1 व 2) स्थित 10 शौचालयों के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार का कार्य।	यू0पी0 सी0एल0डी0एफ0 **182.49**
3	मेरठ	राज्य कर कार्यालय भवन मंगल पाण्डे नगर मेरठ में मीटिंग हॉल की मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य।	यू0पी0 सी0एल0डी0एफ0 **69.28**
4	मुख्यालय	राज्य कर मुख्यालय में डक्ट, सीवर, ड्रेनेज सिस्टम, अधिकारियों के उपयोगार्थ बाथरूम व अन्य अनुरक्षण कार्य।	यू0पी0 सी0एल0डी0एफ0 **163.69**
5	लखनऊ	मीराबाई मार्ग लखनऊ स्थित कार्यालय भवन के छत की मरम्मत एवं वाटर प्रूफिंग तथा ड्रेनेज का कार्य।	यू0पी0पी0सी0एल0 **48.71**
कुल योग-			**571.94**

नियम व शर्तों/प्रतिबंधों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/ मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को अनावश्यक रूप से डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
5. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी सम्बंधित अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर की होगी।
6. सम्बंधित अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक-तदैव।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सम्बंधित जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
9. सम्बंधित कार्यदायी संस्था द्वारा आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in